कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद, पीलीभीत।
(विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

प्रेस विज्ञप्ति

सेवा में,

ज़िला सूचनाधिकारी,
जनपद, पीलीभीत।

पत्रांक– 357 /डी0एल0एस0ए0/2025, दिनांक 07.08.2025

महोदय,

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक–2389/एस0एल0एस0ए0–83/2025 (संदीप/आर0आई0) दिनांकित 30 जुलाई 2025 के आदेश के अनुक्रम में जनपद न्यायालय, पीलीभीत में लम्बित किसी वाद या अन्य कार्यवाही के सम्बंध में जनपद में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र हेतु 12 मध्यस्थ अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाना है। जिसके लिए ऐसे अधिवक्ता 01–जिनके पास न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षो का अनुभव हो, 02–सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/न्यायालय में कार्य कर चुके कर्मचारी अथवा 03–ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने क्षेत्रों में कार्य करने का कम से कम 15 वर्षो का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र में सुपरिचित हो, आवेदन करने हेतु अर्ह/पात्र होंगे। ऐसे अर्हताधारक, मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने के इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित प्रारुप पर अपने–अपने आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत में दिनांक 12 अगस्त 2025 सांय 05:00 बजे तक जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय पीलीभीत की वेवसाइट http://pilibhit.dcourts.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते है। उक्त सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए पेपर की कंटिंग इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आवश्यक निर्देशः- 1- चयनित आवेदकों का कार्यकाल मध्यस्थ पैनल बनाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगा। 2- आवेदक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो। 3- आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों व प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं पासपोर्ट साईज की दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रतियां, स्थायी निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

सूचना जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

Sunil Kumar 07/08/25

(सुनील कुमार–द्वितीय)
अपर जिला जज/पूर्णकालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद, पीलीभीत।
दिनांकः 07.08.2025

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद–पीलीभीत

प्रतिलिपिः–01–श्रीमान अपर जिला जज/नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय, पीलीभीत को उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सादर प्रेषित।

02–श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, पीलीभीत को इस आशय के साथ प्रेषित है, कि उक्त सूचना को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

03–प्रभारी अधिकारी नजारत, जिलाधिकारी पीलीभीत को इस आशय के साथ प्रेषित है, कि उक्त सूचना कलैक्टेट, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

04–अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित है, कि उक्त बार संघ, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

05–नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत में चस्पा की जायें।

07–अमर उजाला, 08–दैनिक जागरण, 09–हिन्दुस्तान, 10–अमृत बिचार, 11–लोक भारती, 12–दैनिक भास्कर, 13–अमर भारती 14–शाहटाइम्स 15–बांसुरी नगरी।

Sunil Kumar 07/08/25

(सुनील कुमार–द्वितीय)
अपर जिला जज/पूर्णकालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जनपद, पीलीभीत।

अनुसूची–एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला पीलीभीत।)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम ....

2. पति का नाम ....

3. पता :
(क)–कार्यालय ....
(ख)–निवास ....

आवेदक अपना नवीनतम् पासपोर्ट साईज फोटो लगायें।

4. दूरभाष संख्या :
(क) कार्यालय : ....
(ख) निवास : ....

5. मोबाईल नम्बर संख्या
(क) कार्यालय :...
(ख) निवास : ....

6. ई–मेल आईडी : ....
7. शैक्षिक अर्हताएं : ....
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव : ....
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो : ....
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो : ....
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक : ....
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)

12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है ? ....
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है या विकृतचित का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं.. एतद्द्वारा निवेदन करता/करती हूँ कि मैं . ... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ। यह आश्वासन देता/देती हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूँगा/करूँगी। मैं, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक.................................

पूर्ण हस्ताक्षर

नोटः–1. आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक पहचान पत्र/आधार कार्ड व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जिला बार काउन्सिल के परिचय पत्र की स्वः प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करें।